रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10102025-266827
CG-DL-W-10102025-266827

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, सितम्बर 14—सितम्बर 20, 2025, शनिवार/भाद्र 23—भाद्र 29, 1947
No. 15] NEW DELHI, SEPTEMBER 14—SEPTEMBER 20, 2025, SATURDAY/BHADRA 23—BHADRA 29, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

का.नि.आ. 30.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय नौसेना (वरिष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव)समूह 'ख', राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने कालोप किया गया है, रक्षा मंत्रालयके भारतीय नौसेना में वरिष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.** –(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय,भारतीय नौसेना,निजी सचिव और वरिष्ठ निजी सचिव (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2025 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **लागू होना.** -ये नियम इननियमोंसेउपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) मे यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या,वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**-पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**-उक्त पदपर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.** –वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पतिया अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति.**-इन नियमों की कोई वात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों तथा भूतपुर्व सैनिकों एवं अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयनपदअथवा अचयन पद**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. निजी सचिव।	97* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-07 (44900 से 142400/- रुपए)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा-	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति: आशुलिपिक श्रेणी–1, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 6 (35400 से 112400/- रुपए) में नियमित आधार परश्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रह हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो आशुलिपिक का पद धारण करते हों -: (क) (i)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या **(ii)** आशुलिपिक श्रेणी, जिन्होनें वेतन मैट्रिक्स में स्तर **-6** (35400 **से** 112400/- रुपए) में या समतुल्य में मूल काडरया विभाग में नियमित आधार पर श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो। **टिप्पण1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसेविभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति मे हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। **टिप्पण2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि,जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग मे इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्तिके लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति के संबंध मे विचार करने हेतु), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) (1) सहायक मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन एवं सि विलियन), नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय -अध्यक्ष (2) निदेशक, असैनिक कार्मिक नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य (3) अवर सचिव/ डी (नियुक्ति), रक्षा मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नही है |

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.वरिष्ठ निजी सचिव	09* (2025) कार्यभार के आधार पर * परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-08 (47600 से 151100/- रुपए)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	शत प्रतिशत प्रोन्नति के द्वारा।	प्रोन्नति: निजी सचिव जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (44900 से 142400/- रुपए) में नियमित आधार परश्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित दो से चार सप्ताह का व्यवहार संबंधी कौशल, सूचना और संचार कौशल सहित आशुलिपिकीय कौशल और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वर्ड, एक्सेल और पावर प्वाइंटका कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रह हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध मे विचार करने हेतु) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) सहायक मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन एवं सिविलियन) नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय -अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नही है	

(2) निदेशक, सिविलियन कार्मिक नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय -सदस्य (3) अवर सचिव/ डी (नियुक्ति) रक्षा मंत्रालय -सदस्य	

[फा. सं. सी पी(जी)/2623/आर आर/पी एस/ /डी(ए पी पी टी टी एस)/2025]

एं .पि हरीनारायणन, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2025

S.R.O. 30.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Navy (Senior Private Secretary and Private Secretary) Group 'B' Gazetted Posts Recruitment Rules, 2015 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Private Secretary and Senior Private Secretary in the Indian Navy, Ministry of Defence, namely :-

1. **Short Title and Commencement.**–(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Navy,Private Secretary and Senior Private Secretary (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.–** These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix**– The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax .**– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings .**– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non – selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. **Private Secretary.**	97* (2025) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial.	Level – 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.**
(6)	**(7)**	**(8)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(9)	**(10)**	**(11)**
Not applicable	By Promotion, failing which by deputation.	Promotion:- Stenographer Grade I in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400- 112400) with five years regular service in the grade and havingsuccessfully completed 02-04 weeks training as prescribed by the Department. **Note:-**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers holding the post of stenographer of the Central Government:- (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post of Stenographers grade on a regular basis in Level – 6 in the paymatrix(Rs. 35400 - 112400) or equivalent in the parent cadre or Department. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotion Committee:- (for considering promotion) 1. Assistant Chief of Personnel (Administration &Civilian) Naval Headquarters, Ministry of Defence - Chairman 2 Director of Civilian Personnel, Naval Headquarters, Ministry of Defence -Member 3 Under Secretary (Appointments) MinistryofDefence -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the Pay Matrix.**	**Whether selection post or non – selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
2. **Senior Private Secretary.**	09* (2025) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial.	Level – 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Selection.

Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.**
(6)	**(7)**	**(8)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.**
(9)	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	By promotion.	Promotion : Private Secretary in level-7 in the pay matrix(Rs. 44900 -142400) with two years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training program on Stenographic skills including behavioral skills, information and communication skills, computer knowledge in word, excel and PowerPoint from a recognised Institute as prescribed by the Department. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and

		have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee:-(for considering promotion) consisting of:- 1. Assistant Chief of Personnel (Administration & Civilian) Naval Headquarters, Ministry of Defence -Chairman 2 Director of Civilian Personnel, Naval Headquarters, Ministry of Defence -Member 3 Under Secretary (Appointments) Ministry of Defence -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. CP(G)/2623/RR/PS/ /D(Apptts)/2025]

M. P. HARINARYANAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2025

का.नि.आ. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सेना आयुध कोर (समूह 'ग', अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2006 को, जहां तक इसका संबंध अग्निशमन अधीक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या, करने का लोप किया गया है रक्षा मंत्रालय, सेना आयुध कोर में सहायक प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सेना आयुद्ध कोर, सहायक प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**
(1)	(2)	(3)
1. सहायक प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी ।	* 36 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा ,समूह 'ख' ,अराजपत्रित , अननुसचिवीय।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	**चयन अथवा अचयन पद ।**
(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रू 35400 - रू 112400)।	चयन

सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(6)
लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(7)
लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।
(8)
लागू नहीं होता।

परीवीक्षा की अवधि ,यदि कोई हो।
(9)
दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(10)
प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : ऐसे स्टेशन अधिकारी ,जिन्होंने स्तर-5 के वेतन मैट्रिक्स (रू 29200 - रू 92300) में उस श्रेणी में नियमित आधार पर छह वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो और सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण पूरा किया हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में ,जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है ,प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।
(12)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय, आर्डनेंस सेवा महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट ब्रिगेडियर श्रेणी का अधिकारी - अध्यक्ष; 2. रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय, आर्डनेंस सेवा महानिदेशक द्वारा नामित कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल श्रेणी का अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डनेंस कोर से भिन्न अन्य सेवा या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का कोई अधिकारी - सदस्य; 4. क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच/क्यू 1(डी) और अग्निशमन सलाहकार सेना के एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना), नई दिल्ली का कोई प्रतिनिधि आधिकारी - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध मे विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय, आर्डनेंस सेवा महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट ब्रिगेडियर श्रेणी का अधिकारी - अध्यक्ष; 2. रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय, आर्डनेंस सेवा महानिदेशक द्वारा द्वारा नामित कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल श्रेणी का अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डनेंस कोर से भिन्न अन्य सेवा या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का कोई अधिकारी - सदस्य; 4. क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच/क्यू 1(डी) और अग्निशमन सलाहकार सेना के एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना), नई दिल्ली का कोई प्रतिनिधि आधिकारी - सदस्य।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए/23731/आर आर/अग्निशमन कर्मचारी/ए डी एफ ओ/ओएस-8सी(ii)/ 157 /डी (नि)/2025]

एम .पी .हरिनारायणन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2025

S.R.O. 31.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Army Ordnance Corps, Fire Staff (Group 'C' Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2006, in so far as they relate to the post of Fire Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Divisional Fire Officer in the Army Ordnance Corps, Ministry of Defence, namely :-

1. **Short title and commencement.**–(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Army Ordnance Corps, Assistant Divisional Fire Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—** No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**
(1)	**(2)**	**(3)**
Assistant Divisional Fire Officer.	*36 (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.

Level in pay matrix.	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(4)	**(5)**	**(6)**
Level-6 in the pay matrix. (Rs. 35400-112400).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	**(8)**	**(9)**
Not applicable.	Not applicable .	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(10)
By promotion .

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion : Station Officer in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with six years regular service in the grade and have successfully completed mandatory training of two to four weeks in the relevant area. **Note.** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully

completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Officer of the rank of Brigadier nominated by the Director General of Ordnance Services, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), New Delhi - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel nominated by the Director General of Ordnance Services, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), New Delhi - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member; 4. An officer representative of Quarter Master General Branch/Q1(D) and Fire Advisor Army, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), New Delhi - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Officer of the rank of Brigadier nominated by the Director General of Ordnance Services, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), New Delhi - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel nominated by the Director General of Ordnance Services, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), New Delhi - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member; 4. An officer representative of Quarter Master General Branch/Q1(D) and Fire Advisor Army, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), New Delhi - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A/23731/RR/FIRE STAFF/ADFO/OS-8C(ii)/ 157 /D(Apptts)/2025]

M. P. HARINARAYANAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2025

का.नि.आ. 32.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक आशुलिपिक (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2013 का उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, भारतीय तटरक्षक में आशुलिपिक के पद पर भर्ती की पध्दति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय तटरक्षक, आशुलिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबध्द अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद/पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबध्द करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण/ आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
आशुलिपिक	* 68 (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500 - 81100 रू)	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित होगी।	अनिवार्य अर्हताएँ: (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वी कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण; (ख) अभ्यर्थी- (i) दस मिनिट तक 80 शब्द प्रति मिनिट की दर पर (हिन्दी या अंग्रेजी) श्रुत लेखन में, (ii) केवल कम्प्यूटर पर पचास मिनिट के लिए अंग्रेजी और पैसठ मिनिट के लिए हिन्दी प्रतिलेखन में, सक्षम हो।

						टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबध्द किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबध्द किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नही होता।	दो वर्ष। **टिप्पण –** केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनो के ऐसे अधिकारी (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव रखते हो। टिप्पण - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह ‘ ग ’ विभागीय पुष्टि/ समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक (कार्मिक) तटरक्षक मुख्यालय - अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ सिविलियन कर्मचारी अधिकारी की पंक्ति का कोई अधिकारी, तटरक्षक - सदस्य 3. सिविलियन कर्मचारी अधिकारी की पंक्ति का कोई अधिकारी, तटरक्षक - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नही है।

[फा. सं. सी पी/ 0601/आशुलिपिक काडर (समूह ‘ग’)]

अलका आहूजा, निदेशक

New Delhi, the 10th September, 2025

S.R.O. 32.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Coast Guard Stenographers (Group 'C') posts Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer in the Indian Coast Guard, Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Coast Guard, Stenographer (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.– The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Stenographer.	68* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level- 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders	Essential qualifications: (a) 12^{th} class pass from a recognised Board or equivalent; (b) the candidate shall be able	Not applicable.	Two years. **Note.-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of

issued by the Central Government). Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	to, - (i) take Dictation at the rate of eighty words (English or Hindi) per minute for ten minutes; (ii) Transcript English for fifty minutes and Hindi for sixty-five minutes only on computer. **Note 1. -** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.-** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By the Staff Selection Commission through direct recruitment, failing which by deputation.	Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations. (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department;	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director (Personnel), Coast Guard	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

	(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). **Note 1.-** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Headquarters - Chairperson; 2. One officer in the rank of Senior Civilian Staff Officer, Coast Guard -Member; 3. One officer in the rank of Civilian Staff Officer, Coast Guard -Member.	

[F. No. CP/0601/Stenographer Cadre (Group 'C')]

ALKA AHUJA, Director

नई दिल्ली, 18 जून, 2025

का.नि.आ. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वायुसेना ज्येष्ठ अनुवादक (हिन्दी) भर्ती नियम, 2003 और भारतीय वायुसेना सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना में सहायक निदेशक (राजभाषा) और ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, सहायक निदेशक (राजभाषा) और ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.–** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.–** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.–** वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.–** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.–** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।**
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सहायक निदेशक (राजभाषा)।	23* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-10 (56100-177500 ₹)।

चयन या अचयन पद।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(9)	(10)
प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: ऐसे ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 `) में उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो तथा राजभाषा के सभी पहलुओं में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1.-** इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर, एसे व्यक्तियों के लिये प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष जारी रहेगी, जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 `) में नियमित आधार पर ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी का पद धारण किए हुए हैं। **टिप्पण 2.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 `) में या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक

विषय के रुप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी माध्यम रहा हो और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रुप में रहा हो या इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में रहा हो; और (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों के अधीन हिंदी में टर्मिनोलोजी (टर्मिनोलोजीकल कार्य) लागु करने या प्रयोग करने और अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद कार्य में तीन वर्ष का अनुभव। (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान में तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा के स्तर पर हिंदी से भिन्न संविधान की आठवीं अनुसुची में शामिल भाषाओं में से एक का अध्ययन किया हो। **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; (2) संयुक्त सचिव (वायु), रक्षा मंत्रालय - सदस्य; (3) सहायक वायुसेना अध्यक्ष (कार्मिक वायुसैनिक और सिविलियन), वायुसेना मुख्यालय - सदस्य; और	पद पर नियुक्ति के प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(4) निदेशक या संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी, जो वायुसेना मुख्यालय के शिक्षा निदेशालय में राजभाषा में कार्यरत हो - सदस्य। समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) सहायक वायुसेना अध्यक्ष (कार्मिक वायुसैनिक और सिविलियन), वायुसेना मुख्यालय - अध्यक्ष; (2) कार्मिक सिविलियन निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय में सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निदेशक रैंक के अधिकारी - सदस्य; और (3) विशेषज्ञ निदेशालय (शिक्षा निदेशालय) का प्रतिनिधि जो उप निदेशक या समतुल्य रैंक से कम का न हो, वायुसेना मुख्यालय - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी।	65* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-7 (44900-142400 ₹)।

(5)	(6)	(7)
चयन पद।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण.- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	शैक्षिक अर्हताएं: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी माध्यम रहा हो और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रुप में रहा हो या इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में रहा हो; और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, में हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र हो या हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो।

		टिप्पण 1.- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2.-** अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण.-** केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति:
ऐसे कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 `) में उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो तथा राजभाषा के विभिन्न पहलुओं में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया हो।

टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी,-

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण किया हुआ हो; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 `) में या सम्तुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) कार्मिक सिविलियन निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय में सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निदेशक रैंक के अधिकारी - अध्यक्ष; (2) विशेषज्ञ निदेशालय (शिक्षा निदेशालय) का प्रतिनिधि जो उप निदेशक या समतुल्य रैंक से कम का न हो, वायुसेना मुख्यालय - सदस्य; और (3) संयुक्त निदेशक या उप निदेशक कार्मिक सिविलियन (विभागीय प्रोन्नति समिति अनुभाग), वायुसेना मुख्यालय -सदस्य । समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) कार्मिक सिविलियन निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय में सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निदेशक रैंक के अधिकारी - अध्यक्ष; (2) विशेषज्ञ निदेशालय (शिक्षा निदेशालय) का प्रतिनिधि जो उप निदेशक या समतुल्य रैंक से कम का न हो, वायुसेना मुख्यालय - सदस्य; और (3) संयुक्त निदेशक या उप निदेशक कार्मिक सिविलियन (विभागीय प्रोन्नति समिति अनुभाग), वायुसेना मुख्यालय - सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. वा. से. मु. /23049/ओ एल काडर/आर आर/पी सी-आर आर और खेलकूद/ /डी (नि.)]

एम .पी .हरिनारायणन, अवर सचिव

New Delhi, the 18th June, 2025

S.R.O. 33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Air Force Senior Translator (Hindi) Recruitment Rules, 2003; and the Indian Air Force Assistant Director (Official Language) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Director (Official Language) and Senior Translation Officer in the Indian Air Force, Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Air Force, Assistant Director (Official Language) and Senior Translation Officer, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.– These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.– The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.– No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Assistant Director (Official Language).	23*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs. 56100-177500).

Whether Selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Two years for promotees.	By promotion, failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Promotion: From amongst Senior Translation Officer in level-7 (Rs. 44900-142400) of the pay matrix with five years regular service in the grade, and having successfully completed two to four weeks training in all aspects of Official Language. **Note 1.-** The Eligibility service for promotion shall continue to be three years for persons holding the post of Senior Translation Officer in level-7 (Rs. 44900-142400) of the pay matrix on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 2.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service of two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7

(Rs. 44900-142400) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

Essential:

(i) Master's degree from a recognised university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

Master's degree from a recognised university in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with English and Hindi as a compulsory or elective subjects or either of the two as the medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and

(ii) Three years experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice versa, preferably of technical or scientific literature under the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous Body or statutory organisations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research or educational institutions; or

(iii) Three years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or recognised universities or recognised research or educational institutions.

Desirable: Studied one of the languages other than Hindi included in the eighth Schedule of the Constitution at tenth level from a recognised board.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Chairman or Member of the Union Public Service Commission - Chairperson; (2) Joint Secretary (Air), Ministry of Defence - Member; (3) Assistant Chief of Air Staff (Personnel Airmen and Civilian), Air Headquarters - Member; and	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

(4) An officer of the level of Director or Joint Director dealing with Official Language in the Directorate of Education, Air Headquarters - Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Assistant Chief of Air Staff (Personnel Airmen and Civilian), Air Headquarters - Chairperson; (2) Officer of the rank of Director of Armed Forces Headquarters Civil Service, Directorate of Personnel Civilians, Air Headquarters - Member; and (3) Representative of Specialist Directorate (Directorate of Education) not below the rank of Deputy Director or equivalent, Air Headquarters - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Senior Translation Officer.	65 * (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs. 44900-142400).

(5)	(6)	(7)
Selection post.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Educational qualifications: (i) Master's degree from a recognised university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised university in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and (ii) recognised Diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or three years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in the Central Government or State Government office, including Government of India undertaking. **Note 1.-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.-** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority,

		for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruits. Note.- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as specified by the Central Government.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.

(11)
Promotion: From amongst Junior Translation Officer in level-6 (Rs. 35400-112400) of the pay matrix, with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in various aspects of Official Language. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 (Rs. 35400-112400) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Officer of the rank of Director of Armed Forces Headquarters Civil Service, Directorate of Personnel Civilians, Air Headquarters – Chairperson; (2) Representative of Specialist Directorate (Directorate of Education) not below the rank of Deputy Director or equivalent, Air Headquarters	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

- Member; and (3) Joint Director or Deputy Director Personnel Civilians (Departmental Promotion Committee Section), Air Headquarters – Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :- (1) Officer of the rank of Director of Armed Forces Headquarters Civil Service, Directorate of Personnel Civilians, Air Headquarters – Chairperson; (2) Representative of Specialist Directorate (Directorate of Education) not below the rank of Deputy Director or equivalent, Air Headquarters - Member; and (3) Joint Director or Deputy Director Personnel Civilians (Departmental Promotion Committee Section), Air Headquarters – Member.	

[F. No. Air HQ/23049/OL Cadre/RR/PC-RRs & Sports/ /D (Apptts)]

M. P. HARINARYANA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.10.10 15:44:29 +05'30'